न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 127/2023
जीसीएमएस : 2023/278
कंवलजीतसिंह पुत्र श्री बेअन्तसिंह जाति कश्मीरी ब्राह्मण साकिन 33 एन.पी. तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. —:वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधि. एवं धारा 125—136 राज. भू. राज. अधि.

उपस्थित अधिवक्तागण तारीख रजू 28.07.2023

1. **श्री प्रीतमसिह गिल अधिवक्ता वादी**
2. **राजपेरोकार सरकार।**

—: **निर्णय** :— दिनांक :— 29.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया। कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073—2076 वाके चक 33 एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 26/21 में पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की कुल खाता संख्या 1.886 है. नहरी—बारानी में वादी 1/12 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबंदी संवत 2073—2076 वाके चक 33 एन.पी. के सयुक्त खाता संख्या 14/53 में पं. नं. 198/330 मु.नं. 13 की 3.163 है. वा पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की 1.405 है. कुल खाता योग 4.568 है. नहरी—बारानी मय खाला खातेदारी में वादी 1/4 का हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है। वादी सही व वास्तविक नाम कंवजीतसिंह है मगर वादी को बाल्यकाल में उसके परिजन व पूर्वज वादी के सही नाम कंवजीतसिंह न पुकार घरेलू नाम कमलजीत सिंह पुकारने के कारण वादी को इन दोनों नामों से ही जाना—पहचाना जाने लगा, स प्रकार ये दोनो नाम वादी के ही है किसी अलग—अलग व्यक्ति के नही है। मगर वादी के व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास—बुक, मूल निवास प्रमाण—पत्र. इत्यादि में वादी का नाम कंवलजीतसिंह दर्ज है और सरपंच द्वारा भी इस संबंध में प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2023 जारी किया गया है तथा बतोर पति व पिता वादी की धर्मपत्नी व बच्चों के व्यक्ति दस्तावेज में भी वादी का सही व वास्तविक नाम कंवलजीत सिंह ही दर्ज है। वादी के मूल निवास स्थान चक 33 एनपी में वादी के अलावा वादी के उपरोक्त नाम कंवलजीतसिंह या कमलजीतसिंह नाम का ओर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता ना ही वादी के परिवार में इन नामों का कोई व्यक्ति है। उपरोक्त रकबा वादी को अपने पिता से प्राप्त हैं। वादी का घरेलू नाम कमलजीतसिंह प्रचलित होने से तत्कालीन समय भूमि अभिलेखों में इसी नाम से भूमि उसके पक्ष मे नामान्तरित कर दी गई ओर यही नाम अभिलेखों में चलता आ रहा है। मगर वादी के व्यक्तिगत दस्तावेजात में उसका नाम कंवलजीतसिंह दर्ज होने से वादी को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने हस्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी वा लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादी के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिये वादी अपने नाम की दुंरूस्ती करवाते हुए राजस्व अभिलेखों में अपना सही व वास्तविक उक्त नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर जामबंदी व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती [illegible] करते हुये अंततः दिनांक 27.07.2023 को यह कहकर दुरूस्ती से इंकार क[illegible] न्यायालय के डिक्री/ आदेश [illegible] है। वादी के समक्ष से ही दुरूस्ती हो सकेगी। यही ता[illegible] के अलावा [illegible] कोई चारा शेष नहीं रहा है। वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत [illegible] फीस पर पेश यही वाद कारण है। वादपत्र न्याया[illegible] के क्षेत्राधिकार [illegible] आकर मुताबिक जमाबन्दी स[illegible] अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:31 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

2073–2076 वाके चक 33 एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 26/21 में पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की कुल खाता संख्या 1.886 है. नहरी–बारानी में वादी 1/12 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके चक 33 एन.पी. के सयुक्त खाता संख्या 14/53 में पं.नं. 198/330 मु.नं. 13 की 3.163 है. वा पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की 1.405 है. कुल खाता योग 4.568 है. नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी में वादी 1/4 का हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है। वादी सही व वास्तविक नाम कंवजीतसिंह है, अतः समस्त रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती करते हुए वादी के नाम कमलजीतसिंह के स्थान पर कंवलजीत सिंह दर्ज करने के आदेश फरमावे। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 07.05. 2024 सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया। रिकार्ड की हद तक स्वीकार किया जाना उचित है। ग्राम पंचायत नानूवाला के सरपंच के द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि कमलजीतसिंह का पक्का नाम कंवलजीत सिंह है

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, जवाब दावा सरकार शपथ पत्र वादी का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–2076 वाके चक 33 एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 26/21 में पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की कुल खाता संख्या 1.886 है. नहरी–बारानी में वादी 1/12 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके चक 33 एन.पी. के सयुक्त खाता संख्या 14/53 में पं.नं. 198/330 मु.नं. 13 की 3.163 है. वा पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की 1.405 है. कुल खाता योग 4.568 है. नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी में वादी 1/4 का हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है। वादी सही व वास्तविक नाम कंवजीतसिंह है वादी के व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास–बुक, मूल निवास प्रमाण–पत्र. इत्यादि और सरपंच द्वारा भी इस संबंध में प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2023 जारी किया गया है तथा बतोर पति व पिता वादी की धर्मपत्नी व बच्चों के व्यक्ति दस्तावेज में कंवलजीत सिंह है वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 125–136 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–2076 वाके चक 33 एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 26/21 में पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की कुल खाता संख्या 1.886 है. नहरी–बारानी में वादी 1/12 हिस्सा एवं मुताबिक जमाबंदी संवत 2073–2076 वाके चक 33 एन. पी. के सयुक्त खाता संख्या 14/53 में पं.नं. 198/330 मु.नं. 13 की 3.163 है. वा पं.नं. 198/331 मु.नं. 29 की 1.405 है. कुल खाता योग 4.568 है. नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी में वादी 1/4 का हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि <u>में अंकित नाम कमलजीतसिंह पुत्र बेअन्तसिंह के स्थान पर कमलजीतसिंह उर्फ कंवलजीत सिंह पुत्र बेअन्तसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।</u> उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:35:31 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner